न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 136 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 बाबुलाल 2 गेनाराम पिसरान सुरताराम जाति कुमावत निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा 3 गेरोदेवी पुत्री सुरतारात पत्नी लुनाराम 4 सुन्दरदेवी पुत्री सुरताराम पत्नी हमीरराम जाति कुमावत निवासी कमोईपुरा भादरेश पुनसिया तहसील व जिला बाडमेर।		1 सुरताराम पुत्र जवाराराम जाति कुमावत निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री देवीलाल कुमावत, वकील वादीगण।
2. श्री अम्बालाल जोशी, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 20/08/19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 जवाराराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 68 रकबा 0.17 बीघा, खसरा संख्या 217 / 69 रकबा 15.06 बीघा, खसरा संख्या 219 / 69 रकबा 16.03 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा भूमि तथा मौजा मगनोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1002 / 868 रकबा 0.15 बीघा व खसरा संख्या 1034 / 868 रकबा 20.05 बीघा कुल रकबा 21.00 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जवाराराम के नाम भूमि विभाजन के बाद दर्ज हुई, जिसमें से उक्त वादग्रस्त भूमि सुरताराम के हिस्से में आई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 सुरताराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

प्रतिवादी भीखाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी सुरताराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1/5–1/5 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी सुरताराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 68 रकबा 0.17 बीघा, खसरा संख्या 217/69 रकबा 15.06 बीघा, खसरा संख्या 219/69 रकबा 16.03 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा भूमि तथा मौजा मगनोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1002/868 रकबा 0.15 बीघा व खसरा संख्या 1034/868 रकबा 20.05 बीघा कुल रकबा 21.00 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सुरताराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सुरताराम प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 20/05/4 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)   अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 बाबुलाल 2 गेनाराम पिसरान सुरताराम जाति कुमावत निवासी नारणोणियो की ढाणी भाडखा 3 गेरोदेवी पुत्री सुरताराम पत्नी लुनाराम 4 सुन्दरदेवी पुत्री सुरताराम पत्नी हमीराराम जाति कुमावत निवासी कमोईपुरा भादरेश पुनसिया तहसील व जिला बाडमेर।		1 सुरताराम पुत्र जवाराराम जाति कुमावत निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाडमेर

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 136 / 2019

निर्णय दिनांक :– 20.08.19

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की उपरिथति में इस वाद में आज तारीख 20.08.19 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 68 रकबा 0.17 बीघा, खसरा संख्या 217 / 69 रकबा 15.06 बीघा, खसरा संख्या 219 / 69 रकबा 16.03 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा भूमि तथा मौजा मगनोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1002 / 868 रकबा 0.15 बीघा व खसरा संख्या 1034 / 868 रकबा 20.05 बीघा कुल रकबा 21.00 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सुरताराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सुरताराम प्रत्येक का 1 / 5–1 / 5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 20.08.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S D O) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पुत्र प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

Scanned by CamScanner